

No. 1/1/2024-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated the 12th March, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees-effective from 01.01.2024.

The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 1/4/2023-E-II (B) dated 20th October, 2023 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Dearness Allowance payable to Central Government employees, shall be enhanced from **46% to 50% of the Basic Pay with effect from 1st January, 2024.**

2. The term Basic Pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.


3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2024.

6. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

7. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.


(Ram Gopal)
12/3/24

Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

पत्रांक : 12/एस-महँगाई भत्ता/महँगाई राहत-54/2017.....743/वि०

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

राँची/दिनांक : 15/03/2024

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जनवरी, 2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ के अनुरूप राज्य कर्मियों को योजना-सह-वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-9 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महँगाई भत्ता अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के Press Information Bureau पर उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवाँ वेतनमान) में दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर को 46% (छियालीस प्रतिशत) की विद्यमान दर में 4% (चार प्रतिशत) की अभिवृद्धि करते हुए 50% (पचास प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य कर्मियों को वर्तमान पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :-


“राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से वेतन का 50% (पचास प्रतिशत) महँगाई भत्ता स्वीकृत किया जाय”।

4. झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम-34(ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 701/वि० दिनांक 12.03.2024 के क्रम में दिनांक 12.03.2024 की बैठक के मद सं० 29 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक•), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,




(प्रशांत कुमार)
सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : 12/एस-महँगाई भत्ता / महँगाई राहत-54/2017.....^{743/वि०} राँची, दिनांक 15/03/2024

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार (लेखा एवं हक•), झारखंड, राँची/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त (वै•दा•नि•को•) विभाग, झारखंड, राँची/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।


15/03/24.

(प्रशांत कुमार)

सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।